



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656357 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 1752

दिनांक:- 30/12/2021

-:कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (02.12.2021)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 जोन दक्षिण के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के एजेण्डा संख्या 25 में वृक्षारोपण पट्टी के क्षेत्र हेतु प्रस्तावित प्रयोजन के दृष्टिगत आरक्षित दर की दुगुनी दर से राशि लिए जाने के स्थान पर उक्त क्षेत्र के पट्टा विलेख जारी किये जाने हेतु ली जाने वाली नियमानुसार समस्त राशि जोन स्तर से ली जावें तथा शेष कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 283/10 रकबा 02.02.15 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री प्रेमराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 569/6 रकबा 10.05.00 बीघा में से 05.00.00 बीघा के फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री गोविन्द पुत्र श्री सुखाराम, श्री देवेन्द्र पुत्र श्री सुखाराम, रिंका/सुखाराम, गीता/सुखाराम, छोटादेवी/सुखाराम, श्री भगाराम पुत्र श्री मांगीलाल, श्री किशनलाल/मांगीलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 80 फीट सड़क गुजर रही है जिसका अंकन किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 80 फीट सड़क का अंकन किये जाने से आवेदित भूमि दो भागों में विभक्त हो रही है तथा नियमानुसार फार्म हाउस हेतु न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित सड़क उपरांत शेष भूमि को सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित किया जावे तथा आवेदक से सहमति-पत्र व संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावे। यदि आवेदक सहमत नहीं हो तो प्रकरण को पुनः बैठक में रखा जावे।
3. आवेदित भूमि एवं सड़क के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।
5. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की पुस्तिका में डी.सी.आर. की सामान्य शर्तों के बिन्दु संख्या 16 के अनुसार कॉरपोरेट पार्क में फार्म हाउस अनुज्ञेय किया जाता है बशर्ते आवेदक भविष्य में उक्त क्षेत्र के आस-पास कॉरपोरेट पार्क में अनुज्ञेय गतिविधियों में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। उक्त की सुनिश्चितता हेतु आवेदक से ले-आउट प्लान जारी किए जाने से पूर्व जोन स्तर पर शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे।
6. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/18 रकबा 01.14.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री भंवरलाल सोनी पुत्र श्री राधाकिशन सोनी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-



1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जाएं। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाएं। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं।
2. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जाएं।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जाएं। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जाएं।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाएं अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाएं।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77 / 25 रकबा 01.17.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती सुशीला कांकरिया पत्नी श्री महावीर कांकरिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जाएं। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जाएं। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जाएं।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जाएं अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जाएं।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1049/740, 1051/740 रकबा 02.16.16 बीघा में से 01.08.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री महावीरचन्द ललवानी एच.यू.एफ कर्ता श्री घेवरचंद जैन

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें।
3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें।
4. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 53/31, 53/32 रकबा 01.09.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री देवेन्द्र छाजेड पुत्र श्री जसराज

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।

8

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 8 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 53/29, 53/30 रकबा 01.04.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री दिलीप छाजेड पुत्र श्री जसराज

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/7 रकबा 03.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री राजेश जैन पुत्र श्री मीठालाल जैन, श्री सुमित्रा जैन पत्नी श्री राजेश जैन

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान में 80 फीट प्रस्तावित सड़क का अंकन किया जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी



करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।

4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 127/9 रकबा 01.17.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री धापूदेवी पत्नी श्री कलाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक को जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 80 फीट किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/48 (नया खसरा संख्या 862/128 रकबा 02.17.07 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री सिद्धार्थ सुराणा पुत्र श्री गौतम सुराणा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-



1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें।
3. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें।
4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें।
5. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/7 रकबा 01.16.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री करणीसिंह, श्री करणीसिंह पुत्र श्री उगमसिंह

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणी के खसरा संख्या 930/836 रकबा 08.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री जगाराम पुत्र श्री जेटाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य लूणी-शिकारपुरा सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 अनुसार 200 फीट रखा जावे तथा तत्पश्चात 100 फीट वक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Polluting Eco Friendly Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित उपयोग/प्रयोजन बाबत शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
3. आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग से प्रस्ताव/रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4. सुरक्षात्मक दृष्टि से आवेदित भूमि में चारों तरफ न्यूनतम सेटबेक 9 मीटर रखा जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 14 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1035/740/06 रकबा 00.05.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती रीटा कानूनगों पत्नी श्री दिनेश कानूनगों

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।

8

3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 16/10 रकबा 01.13.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री दिनेश अग्रवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण मे विद्यमान सडक से आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण जोन उपायुक्त को जांच हेतु निर्देशित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 16 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 272/18, 266/12 रकबा 01.00.13 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री नरेन्द्र तातेड पुत्र श्री मोहनराज तातेड

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण मे विद्यमान सडक से आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण जोन उपायुक्त को जांच हेतु निर्देशित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट को अंकित कर रिपोर्ट करवायी जावें।

एजेण्डा संख्या 17 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 58/14 रकबा 01.15.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री जालाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान की 80 फीट प्रस्तावित सडक का अंकन किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित

भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।

3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1088/740/6 रकबा 01.08.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती अनिता परिहार पत्नी श्री जगदीश परिहार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि एवं सडक के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 51/11 रकबा 04.04.00 बीघा में से 03.02.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती समु पत्नी श्री सोनाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-



1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। आवेदित भूमि को नाले के उपर से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसमें नाले की सीमा से 60 फीट सडक रखी जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित रास्ते की चौड़ाई 80 फीट रखी जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 130/8 रकबा 02.19.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- हरिश इण्डस्ट्रीज पार्टनर श्री दिनेश कुमार डोयल, श्री हनवंतकुमार डोयल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। आवेदित भूमि को नाले के उपर से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसमें नाले की सीमा से 60 फीट सडक रखी जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. प्रश्नगत खसरान की भूमि एवं सडक के मध्य स्थित प्राधिकरण की भूमि हेतु नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई



विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 21 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 534/4 रकबा 08.00.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री राहुल खत्री पुत्र श्री नरायणलाल खत्री

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि नन्दवान से सरेचा मुख्य रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार प्राधिकरण में पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार 120 फीट सड़क मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु 100 फीट रखते हुए सड़क मध्य से 50 फीट भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
2. आवेदित भूमि में से एक एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 22 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 127/4 रकबा 01.10.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती केलीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल पटेल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 23 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणावास कलां के खसरा संख्या 12/4 (नया खसरा संख्या 643/12 रकबा 05.00.00 बीघा) के नॉन पाल्यूटेड हेण्डिकाप्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री गंगाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-बाडमेर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात 100 फीट वक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावें। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग को मानचित्र प्रस्तावोंनुसार 80 फीट प्रस्तावित किया जावें तथा उक्त खसरान की शेष भूमि में प्राधिकरण में विचाराधीन अन्य प्रकरण (श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बाबूलाल) में 80 फीट सडक को निरंतर किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में कटाण मार्ग नहीं होकर खातेदारी भूमि है।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की डी.सी.आर. अनुसार आवेदित भूमि पर केवल नॉन पाल्यूटेड हेण्डिकाप्ट इण्डस्ट्रीज अनुज्ञेय की जावें तथा उक्त का अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावें।
4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें।
5. आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग से प्रस्ताव/रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।



7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 24 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणावास कलां के खसरा संख्या 12/4 (नया खसरा संख्या 642/12) रकबा 10.00.00 बीघा में से 05.00.00 बीघा के नॉन पाल्यूटेड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती पानीदेवी पत्नी श्री बाबूलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि को उक्त खसरा की शेष भूमि में प्राधिकरण में विचाराधीन अन्य प्रकरण (श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी श्री गंगाराम) से 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है जिसे प्रस्तावित भूमि में निरंतर किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में कटाण मार्ग नहीं होकर खातेदारी भूमि है।
3. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की डी.सी.आर. अनुसार आवेदित भूमि पर केवल नॉन पाल्यूटेड हेण्डिकाप्ट इण्डस्ट्रीज अनुज्ञेय की जावे तथा उक्त का अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।
5. आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग से प्रस्ताव/रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1515/1030 रकबा 00.06.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- मैसर्स बोनाफाईड एक्सपोर्ट जरिये भागीदारी फर्म भागीदार श्री बिरेन्द्र कुमार

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित

6

- सडक को पूर्व कमिटमेंट अनुसार 40 फीट किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
 3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 26 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 119/5, 119/6 रकबा 04.04.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री जालाराम पुत्र श्री पदमाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावें। आवेदित भूमि को नाले के उपर से पहुंच मार्ग प्राप्त हो रहा है जिसमें नाले की सीमा से 60 फीट सडक रखी जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित सडक को पूर्व कमिटमेंट अनुसार 60 फीट किया जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविनि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें।
3. आवेदक से आवेदित भूमि पर कृषि आधारित उद्योग बाबत् संबंधित विभाग से प्रस्ताव/रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जाने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
4. प्रकरण में सुरक्षात्मक दृष्टि से चारों तरफ न्यूनतम सेटबेक 9 मीटर अथवा कृषि आधारित उद्योग उपविधियां अनुसार जो भी अधिक हो, का प्रावधान किया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।



एजेण्डा संख्या 27 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 723/6 रकबा 13.13.00 बीघा के औद्योगिक (हैण्ड्रीकाफ्ट) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती संतोष कोठारी पत्नी श्री अभय कोठारी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि कांकाणी-लूणी राज्य राजमार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 200 फीट रखा जावे तथा तत्पश्चात 100 फीट वक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि में से मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित 100 फीट सडक का अंकन किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 अनुसार आवेदित भूमि में से मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 की 100 फीट की सडक गुजरने के कारण आवेदित भूमि 2 भागों में विभाजित हो रही है। अतः एकल पट्टा जारी किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को पट्टा विलेख हेतु सक्षम स्वीकृति प्रेषित किए जाने के समय जोन स्तर से उक्त का अंकन पत्र में किया जावे।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Polluted Eco friendly Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non- Polluted Eco friendly Industry हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदक से आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग से प्रस्ताव/रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
5. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 है० से अधिक होने के कारण 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 28 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 112/5 रकबा 09.00.00 बीघा में से 04.00.00 बीघा के संस्थागत (शैक्षणिक) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री रोमन कैथोलिक डायोसिजन सोसायटी अजमेर जयपुर राजस्थान जरिये सदस्य श्री विक्की विन्सेंट पुत्र श्री अल्कोस अर्नेस्ट

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 100 फीट सडक मार्गाधिकार रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष



- में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
 3. आवेदित भूमि तथा सड़क के मध्य बिन्दु से दूरी बाबत् जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.06.2017 अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ हेतु पट्टा जारी किये जाने के समय 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र छोड़े जाने की अनिवार्यता नहीं है। अतः तदानुसार कार्यवाही की जावें।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 29 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम श्री जम्भेश्वर नगर के खसरा संख्या 434/3 रकबा 02.01.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री श्रवणराम बुडिया पुत्र श्री हनुमानराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के कांकाणी-गुडाविशुनोईयान् राज्य राजमार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 264 फीट रखा जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सड़क मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावें। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।
3. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें।
4. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।



एजेण्डा संख्या 30 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 100/4, 101/1 रकबा 21.00.00 में से 01.16.13 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री लालाराम पुत्र श्री पुरखाराम पटेल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 264 फीट रखा जावें। साथ ही राजस्थान (जोधपुर) भवन विनियम 2020 अनुसार सडक मार्गाधिकार के पश्चात् न्यूनतम 10 मीटर भूमि बफर हेतु छोड़ी जावें। एवम् इस 10 मीटर बफर में न्यूनतम 6 मीटर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र में अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जॉच उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
3. आवेदित भूमि की 100 मीटर की परिधि में ज्वलनशील गतिविधि के संबंध में जोन से टिप्पणी प्राप्त की जावें।
4. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावें।
5. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना की जावें।
6. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें।
7. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 31 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा संख्या 40/6 से 40/9 रकबा 04.19.03 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती मीरादेवी पटेल पत्नी श्री जेठाराम पटेल, श्री मतरादेवी बाबुराम पटेल पत्नी श्री बाबुलाल पटेल, श्री प्रकाश पुत्र श्री रूपाराम, सन्तोष श्रीराम पटेल पत्नी श्री राम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोनल डेवपलमेंट प्लान की 100 फीट सडक पर स्थित है। जिसकी सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित



- भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. आवेदित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1088 / 740 रकबा 00.12.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री भंवरलाल कांकरिया पुत्र श्री खेमराज

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावें।
3. आवेदित भूमि में मौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावें।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 33 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 32 / 79, 32 / 73, 32 / 51, 32 / 72 रकबा 02.11.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- एक्यूरेट मेटल्स जरिये भागीदार श्री ललित जैन



निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य जोधपुर-सालावास रोड पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 34 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सांगरिया के विवेक विहार व्यवसायिक योजना ब्लॉक एच में संशोधन बाबत्।
आवेदक :- जे.डी.ए स्कीम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में जोन/विवेक विहार शाखा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कुल सात आवंटियों को ब्लॉक एच में उपलब्ध रिक्त भूमि पर आयोजना शाखा द्वारा तैयार किये गये मानचित्र को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त सात आवंटियों के अतिरिक्त कोई आवंटी शेष नहीं रहे, के संबंध में विवेक विहार शाखा की रिपोर्ट प्राप्त कर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 35 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/9 रकबा 01.13.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्रीमती अंजु सालेचा पत्नी श्री राजेश सालेचा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि व पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण जोन उपायुक्त को विस्तृत जांच हेतु निर्देशित किया गया। उक्त की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 36 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 721/312, 722/312, 723/312, 725/312 रकबा 07.16.18 बीघा के औद्योगिक व क्लब हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :- श्री बद्रीराम जाखड पुत्र श्री गणेशराम, श्री रामकिशोर पुत्र श्री बद्रीराम, श्री रामजीवन चौधरी पुत्र श्री बद्रीराम, श्री जुगलकिशोर चौधरी पुत्र श्री बद्रीराम



निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक एवम् ओ.सी.एफ प्रयोजनार्थ आरक्षित होने के कारण 90/क में संशोधन किये जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। साथ ही मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार औद्योगिक भू-उपयोग हेतु पृथक से पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 37 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1605/1096 रकबा 02.09.15 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री पदमचंद मुथा पुत्र श्री लखीचंद प्रो. श्री पदमचंद मुथा एण्ड कम्पनी, श्री सुमित अग्रवाल पुत्र श्री मूलचंद अग्रवाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि की वर्तमान मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा सडक के मध्य बिन्दू से आवेदित भूमि तक की दूरी बाबत् टिप्पणी प्राप्त की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 38 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 292/10 रकबा 01.00.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री मोहनलाल पुत्र श्री हेमराज जैन

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि व पहुंच मार्ग राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण जोन उपायुक्त को विस्तृत जांच हेतु निर्देशित किया गया। उक्त की सुनिश्चितता उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 39 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1086/740/7 रकबा 01.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्रीमती वंदिता वेगानी पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार वेगानी

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 40 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1088/740/11, 1088/740/12 रकबा 04.04.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- महालक्ष्मी टैक्सटाईल मिल्स जरिये भागीदार श्री मोहनलाल खत्री पुत्र श्री सुखदेव, श्री धीरेन्द्र खत्री पुत्र श्री मोहनलाल खत्री

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 100 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सड़क मार्गाधिकार पूर्व में किए गए कमिटमेंट तथा रीको के मानचित्र अनुसार 60 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जो.वि.प्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. आवेदक से रीको से उक्त क्षेत्र के अवाप्ति में होने अथवा नहीं होने के संबंध में अनापत्ति प्राप्त की जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र

लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 41 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 51/9 रकबा 08.14.09 बीघा में से 01.02.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री नवलाराम पुत्र श्री भोमाराम माली

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदक द्वारा आवेदित भूमि का तरमीमसुदा नक्शा लाने पर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावे तथा जोन स्तर से जांच की जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 42 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 111/5 रकबा 04.10.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- श्री नवलाराम पुत्र श्री भोमाराम माली

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मुख्य बोरानाडा-सालावास रोड पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार 160 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित 80 फीट सडक का अंकन किया जावे। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।

2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
4. आवेदित भूमि में से एक एच.टी लाईन गुजर रही है जिसकी क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 43 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 51/13 रकबा 02.09.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

आवेदक :- मैसर्स ए.बी.आर्ट एक्सपोर्ट जरिये प्रोपराईटर श्री बाबूलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावे। साथ ही आवेदित भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन/उपयोग जो कि Non-Obnoxious हो बाबत् भी शपथ-पत्र आवेदक से प्राप्त किया जावे।
3. जमाबंदी से अधिक क्षेत्रफल की भूमि के स्वामित्व की जांच कर जोन स्तर से नियमानुसार राशि लिए जाने की कार्यवाही की जावे।
4. आवेदित भूमि में गौके पर निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.18(25) नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार शास्ती ली जावे।
5. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार त्रिज्या की गोलाई रखी जावे।
6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
7. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
8. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।


एजेण्डा संख्या 44 :- (02.12.2021) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 178/14 रकबा 01.00.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ताराचंद पुत्र मानाराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-


1. आवेदित भूमि के सामने प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंट अनुसार 40 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी (एल.पी.)/का.वि./2021/ 1752-56 दिनांक:- 30/12/2021
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियंत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 10/2021 वीं बैठक दिनांक 02.12.2021 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री लाडूराम विश्‍नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री राजेन्द्र चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |



उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर